रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2013/चैत्र 22, 1935
No. 838] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2013/CHAITRA 22, 1935

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

**का.आ. 950(अ).**—दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1995 (1995 का 36) की धारा 4 की उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में दरगाह विन्यास का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन उस प्रयोजन के लिए गठित समिति में निहित है।

2. अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1457(अ), तारीख 24 अगस्त, 2007 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित को दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य, जो हनाफी मुस्लिम हैं, के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :–

(i) श्री असरार अहमद खान, पुत्र स्वर्गीय श्री इश्तियाक अहमद खान, मुहल्ला लालपुरा, डूंगरपुर, राजस्थान।

(ii) श्री शेख अलीम, पुत्र श्री शेख हबीब, 177, आजाद नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश–452001 ।

(iii) जनाब मौलाना अब्दुल वदूद "पीर अशरफ", पुत्र स्वर्गीय मौलाना अब्दुल वहाब, मदर्सा, इदारा–ए–शरिया, उ.प्र., खिन्नी तल्ला, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, पिन–229001 ।

(iv) श्री शाह अम्मार अहमद अहमदी, उर्फ नैय्यर मियां, सज्जादानशीं, रुदौली शरीफ दरगाह, जिला— फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।

(v) जनाब चिश्ती जियाउद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पुत्र श्री ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐवान—ए—चिश्त, नसीर बाग, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती मार्ग, शाही बाग, अहमदाबाद, गुजरात—380004 ।

(vi) चौधरी वहाज अख्तर, पुत्र चौधरी अख्तर हुसैन, ग्राम और डाकघर इन्हौना, जिला : अमेठी, उत्तर प्रदेश।

(vii) श्री जावेद अब्दुल मजीद पारेख, पुत्र श्री अब्दुल मजीद अबुबकर पारेख, 77, संत सवता मार्ग, मुश्तफा बाजार, बायकुला, मुम्बई—10 ।

[फा. सं. 11/3/2012—वक्फ]
वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2013

**S.O. 950(E).**—Whereas in accordance with the provisions contained in sub-section (1) of Section 4 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the administration, control and management of the Durgah Endowment are vested in a Committee constituted for the purpose.

2. Now, in exercise of the powers conferred by Section 5 and sub-section (1) of Section 6 of the said Act and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Minority Affairs' published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.1457(E), dated the 24th August, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following as members to the Durgah Committee, Ajmer, who are Hanafi Muslims, for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

(i) Shri Asrar Ahmad Khan S/o Late Shri Istiaque Ahmed Khan, Mohalla: Lalpura, Dungarpur, Rajasthan.

(ii) Shri Sheikh Alim S/o Shri Sheikh Habib, 177, Azad Nagar, Indore, Madhya Pradesh-452001.

(iii) Janab Maulana Abdul Wadood "Peer Ashraf", S/o Late Maulana Abdul Wahab, Madarsa Edara-e-Shariya U.P., Khinni Talla, Raebareli, Uttar Pradesh, Pin- 229001.

(iv) Shri Shah Ammar Ahmad Ahmadi, urf Nayyar Mian, Sajjadanashin Rudauli Sharif Dargah, Distt. Faizabad, Uttar Pradesh.

(v) Janab Chishty Ziauddin Khwaja Moinuddin Chishty S/o Shri Khwaja Moinuddin Chishty, Aiwan-E-Chist, Nasirbaug, Khwaja Nasiruddin Chishty Marg, Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat- 380 004.

(vi) Chaudhary Wahaj Akhtar, S/o Chaudhary Akhtar Husain, Vill. and P.O. Inhauna, Distt.: Amethi, Uttar Pradesh.

(vii) Shri Javed Abdul Majeed Parekh S/o Shri Abdul Majeed Abubakar Parekh, 77, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Byculla, Mumbai–10.

[F. No. 11/3/2012-Wakf]

Y. P. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1079] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935

No. 1079] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

**का.आ. 1225(अ).**—केन्द्रीय सरकार, दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 5 और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री मोहम्मद ओबैदुल्ला शरीफ पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, 44, प्रथम स्टेज, दूसरा ब्लॉक, आठवां क्रास, चौथा मेन, एचबीआर लेआउट, बंगलौर-560043, जो एक हनाफी मुस्लिम है, को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11/3/2012-वक्फ]

वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2013

**S.O. 1225(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 and sub-section (1) of Section 6 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government hereby appoints Shri Mohamed Obaidulla Sharieff S/o Shri Abdul Lateef, 44, 1st Stage, 2nd Block, 8th Cross, 4th Main, HBR Layout, Bangalore-560043, who is a Hanafi Muslim, as Member of Durgah Committee, Ajmer for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 11/3/2012-Wakf]

Y. P. SINGH, Jt. Secy.

2007 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2013/आषाढ़ 6, 1935
No. 1479] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2013/ASADHA 6, 1935

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2013

**का.आ. 1867(अ).**-केन्द्रीय सरकार, दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 5 और धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री खान मोहम्मद सईद, पुत्र श्री जुम्मन खान, निवासी 54/56, अब्दुल रहमान, हाईट्स 10वां तल, टनेल स्ट्रीट, साउथ खड़क सारंग मार्ग, चिंच बंदर, मुम्बई-400009, जो एक हनफी मुस्लिम है, को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11/3/2012-वक्फ]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2013

**S.O. 1867(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Sub-section (1) of section 6 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government hereby appoints Shri Khan Mohammed Saeed, S/o Shri Jumman Khan, resident of 54/56, Abdul Rehman, Heights 10 Floors, Tanel Street, South Khadak Sarang Marg, Chinch Bunder, Mumbai -400009, who is a Hanafi Muslim, as Member of Durgah Committee, Ajmer for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the Official-Gazette.

[F. No. 11/3/2012-Wakf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

2835 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.